

कार्यालय

पुलिस

उपायुक्त

यातायात

जयपुर

क्रमांक:-ई-मेल

दिनांक:-05.10.2020

श्रीमान् अति. महानिदेशक पुलिस,  
(अपराध शाखा) राजस्थान जयपुर।

विषय:- सीएम हेल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद के संबंध में।

प्रसंग:- सीएम हेल्पलाईन संख्या 09200678685706 दिनांक 25.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगीय पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि सी.एम. हेल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा प्रेषित परिवाद की जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात (दक्षिण) जयपुर से करवाई गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट न्यूज कटिंग समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 25.08.2020 को प्रकाशित समाचार शीर्षक “यातायात पुलिस के पास क्रेन नहीं, नो-पार्किंग से नहीं उठते वाहन” विगत कई दिनों से क्रेन का टेण्डर समाप्त हो जाने व नया टेण्डर नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब नो-पार्किंग से वाहन उठाने के लिए क्रेन उपलब्ध हो चुकी है, यातायात पुलिस द्वारा नो-पार्किंग में खड़े हुए वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

सहायक पुलिस आयुक्त (प्रोटोकॉल)

नोडल अधिकारी यातायात जयपुर